न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या: 56/2020(जी.सी.एम.एस. 2020/00111)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. रमेश कुमार पुत्र बाधूमल जाति सिन्धी निवासी श्रीकरणपुर हाल आबाद मकान नम्बर 01/139, हाउसिंग बोर्ड सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।	1. कंचन पुत्री नारायण दास जाति सिन्धी निवासी मकान नम्बर 41, सहकार कॉलोनी, मीरा चौक श्रीगंगानगर। 2. कमला देवी पत्नी नारायण दास जाति सिन्धी निवासी मकान नम्बर 41, सहकार कॉलोनी, मीरा चौक श्रीगंगानगर। 3. दौलत पुत्र नारायण दास जाति सिन्धी निवासी मकान नम्बर 41, सहकार कॉलोनी, मीरा चौक श्रीगंगानगर। 4. मूलचन्द पुत्र बाधूमल जाति सिन्धी निवासी वार्ड नम्बर 9, कच्ची थेडी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरनपुर। (मृतक) 4/1.सोनी देवी पत्नी मूलचन्द जाति सिन्धी निवासी वार्ड नम्बर 9, कच्ची थेडी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरनपुर। 4/2.पिंकी पुत्री मूलचन्द पत्नी हरीश किशनानी प्लॉट नम्बर 496 सिंधी कॉलोनी जवाहर नगर जयपुर। 4/3.हेमा पुत्री मूलचन्द पत्नी मुकेश कुमार बबानी निवासी सिंधी धर्मशाला के पीछे वार्ड नम्बर 25 हनुमानगढ टाउन। 4/4.सुनीता पुत्री मूलचन्द पत्नी प्रकाश मोटायनी निवासी गायत्री विहार, महावीर कॉलोनी खाडी बांद्रा रतनाडा के पीछे जोधपुर। 4/5.मोना पुत्री मूलचन्द पत्नी हीरालाल किशनानी राजीवनगर सी सेक्टर प्लाट नम्बर 70 एनी बेसेन्ट स्कूल के पास महामानचिन, जोधपुर। 5. श्याम सुन्दर पुत्र बाधूमल जाति सिन्धी निवासी मकान नम्बर 4/43, हाउसिंग बोर्ड सुरतगढ, जिला श्रीगंगानगर। 6. रोशनलाल पुत्र बाधूमल जाति सिन्धी निवासी मकान नम्बर 4/43, हाउसिंग बोर्ड सुरतगढ, जिला श्रीगंगानगर। 7. टीकम चन्द पुत्र बाधूमल जाति सिन्धी निवासी ए-8 कैलाश कुंज बंगलोज नाना, पोस्ट ऑफिस पुष्कर तहसील चिलोडा, जिला अहमदाबाद, गुजरात। 8. लक्ष्मी देवी उर्फ रूकी पुत्री बाधूमल पत्नी रामचन्द्र जाति सिन्धी निवासी चक 239 शांतिनगर सोसायटी, अरावली, भिलोडा गुजरात। 9. दया बाई उर्फ आशा देवी पुत्री बाधूमल पत्नी अर्जुनदास जाति सिन्धी निवासी मकान नम्बर 03/347 हाउसिंग बोर्ड सुरतगढ। 10. जसोदा उर्फ बेबी पुत्री बाधूमल पत्नी रूपचन्द जाति सिन्धी निवासी चक 2/231 हाउसिंग बोर्ड, सुरतगढ 11. भगवानी बाई उर्फ वीना पुत्री बाधूमल पत्नी वासूदेव जाति सिन्धी निवासी 01/99 हाउसिंग बोर्ड, सुरतगढ। 12. श्यामसुन्दर पु[illegible]म जाति कम्बोज निवासी वार्ड नम्बर 10, क[illegible]थेडी [illegible]णपुर। 13. राजस्थान सरकार [illegible] श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान [illegible] अधिनियम [illegible] 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956

तारीख रजू 17.07.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:28 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित: 1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता वादी
2.श्री जसकरण गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

--निर्णय--

दिनांक: 28.03.2024

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 के मुरब्बा नम्बर 10, 29 की कुल 5.742 हैक्टेयर नहरी भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में से वादी के नाम 0.261 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है। वादाधीन भूमि वादी व प्रतिवादीगण को बाधूमल पुत्र खेमचन्द एंव नारायण दास पुत्र खेमचन्द से विरास्तन प्राप्त हुई है। जमाबन्दी सम्वत 2055 से 2058 के पश्चात बनने वाली जमाबन्दी में सहवन से तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा वादी का नाम रमेश कुमार के स्थान पर सहवन से रेशम कुमार दर्ज कर दिया गया, जबकि बाधूमल के विरास्तन नामान्तरण संख्या 176 के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2055 ता 58 के कॉलम संख्या 11-12 में दर्ज किया गया सही इन्द्राज अर्थात रमेश कुमार ही था। इस प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में हुई यह सद्‌भाविक त्रुटि कालान्तर में बनने वाली जमाबन्दियों में उतरोतर दर्ज होती चली आई और वर्तमान जमाबन्दी में भी वादी का नाम रेशम कुमार पुत्र बाधूमल अंकित है। यह त्रुटि केवल सद्‌भाविक लिपिकीय त्रुटि है, जिसको संशोधित किया जाना आवश्यक एंव न्यायसंगत है। उक्त वादाधीन भूमि एक मुश्तर्का खाता की भूमि है। जिसका आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन के बिना प्रत्येक खातेदार का भूमि के प्रत्येक बीघा के प्रत्येक बिस्वा पर अपने-अपने हिस्सा अनुसार हक स्थापित है। जब तक वादाधीन भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता, काश्तकार अपने हिस्सा की भूमि का उपयोग एंव उपभोग पर्याप्त रूप से नहीं कर सकते। इसलिए उक्त भूमि का उसकी किस्म अनुसार विभाजन करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायसंगत है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 में वादी का नाम रेशम कुमार के स्थान रमेश कुमार संशोधित किया जाकर वादी के नाम दर्ज भूमि का अलग से खाता व लगान कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5 ता 11 की ओर से अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 12 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के संबध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 के वारिसान को प्रतिवादी संख्या 4/1 ता 4/5 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 4/1 ता 4/5 की ओर से अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा उपस्थित आऐ। प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। जो सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहता है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 1 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 के मुरब्बा नम्बर 10, 29 की कुल 5.742 हैक्टेयर नहरी भूमि में से क्रम संख्या 9 पर वादी रमेश कुमार के अंकित नाम रेशम कुमार के संबंध में आये हुए हिस्से की 0.261 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

4. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 1 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 के मुरब्बा नम्बर 10, 29 की कुल 5.742 हैक्टेयर नहरी भूमि में वादी के हिस्सा की 0.261 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
रमेश कुमार पुत्र बाधूमल जाति सिन्धी निवासी श्रीकरणपुर हाल आबाद मकान नम्बर 01/139, हाउसिंग बोर्ड सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर। (0.261 हैक्टेयर)	1 एफ ए	29	1 2	0.253 हैक्टेयर 0.008 हैक्टेयर	नहरी नहरी	2.25 0.07

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:28 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
रमेश कुमार बनाम कंचन आदि आदि
धारा अन्तर्गत **53, 88, 188** आरटीए मुकदमा नम्बर **56/2020**
निर्णय दिनांक :- 28.03.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 1 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 26/20 के मुरब्बा नम्बर 10, 29 की कुल 5.742 हैक्टेयर नहरी भूमि में वादी के हिस्सा की 0.261 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगा[illegible]
1	रमेश कुमार पुत्र बाधूमल जाति सिन्धी निवासी श्रीकरणपुर हाल आबाद मकान नम्बर 01/139, हाउसिंग बोर्ड सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर। (0.261 हैक्टेयर)	1 एफ ए	29	1 2	0.253 हैक्टेयर 0.008 हैक्टेयर	नहरी नहरी	2.2[illegible] 0.[illegible]

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 04.04.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	50	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	54	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/ 2024/122 दिनांकः 04.04.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ [illegible] डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:20:28 IST
Reason: SelfAttested

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते